कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ कानून लागू किए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 इस संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। अधिनियम सरकार द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की नियुक्ति वाली फैक्ट्रियों अथवा स्थापनाओं में कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व तथा रोजगार दुर्घटना के मामले में कुछ लाभ प्रदान करता है। भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.नि.) के माध्यम से अधिनियम को लागू करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

- आवृत स्थापनाओं से अंशदान के रूप में मार्च 2013 को कुल ₹1655.42 करोड़ के बकाया देय थे, जिसमें से ₹1001.82 करोड़ वसूली योग्य नहीं थे।

(पैरा 2.1.2)

- देयताओं के निर्धारण हेतु सामयिक कार्रवाई प्रारम्भ नहीं करने का परिणाम मामलों के कालातीत होने तथा कुल ₹48.31 करोड़ के राजस्व की हानि में परिणित हुआ। मार्च 2013 तक अस्पतालों को दिए गए ₹20.31 करोड़ के अग्रिम आठ राज्यों में गैर–समायोजित पड़े थे।

(पैरा 2.1.3 तथा पैरा 2.8)

- नियोक्ताओं द्वारा अदा किए जाने वाले अंशदान के प्रति उत्पन्न चालानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच ₹556.59 करोड़ का पर्याप्त अंतर पाया गया था।

(पैरा 2.4)

- लगभग 12000 क.रा.बी.नि. कर्मचारी बिना अदा किए क.रा.बी.नि. औषधालयों/अस्पतालों से अनियमित रूप से चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे थे जबकि सुविधाएं केवल अंशदान अदा कर रहे बीमाकृत व्यक्तियों हेतु थीं।

(पैरा 2.7)

- स्थायी समिति, चिकित्सा लाभ परिषद, क्षेत्रीय बोर्डों तथा अस्पताल विकास समितियों की बैठकों में कमी थी। नौ राज्यों में क्षेत्रीय बोर्डों का पुनर्गठन नहीं किया गया था जबकि उनका कार्यकाल 2004 से 2011 के दौरान समाप्त हो गया था।

(पैरा 2.10. तथा 2.11)

- सर्वेक्षण/निरीक्षण/नमूना निरीक्षण करने में कमी योजना के अप्रभावी आवृत्तन का कारण बनी।

(पैरा 3.2)

- क.रा.बी.नि. अस्पताल, नोएडा, उत्तर प्रदेश में दो इंटेनसिव केयर यूनिटों (आई.सी.यू.) तथा एक कोरोनरी केयर यूनिट (सी.सी.यू.) को अस्पताल के चालू होने के दो वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी चालू नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप ₹8.16 करोड़ की कीमत के उपकरण अप्रयुक्त रहे।

(पैरा 4.2.5)

- क.रा.बी.नि. अस्पतालों में अति विशेषज्ञ उपचार (अ.वि.उ.) की अनुपलब्धता के कारण अपने बी.ब्य. हेतु सूचीबद्ध अस्पतालों से अ.वि.उ. पर क.रा.बी.नि. का व्यय 2008–09 में ₹5.79 करोड़ से 2012–13 में ₹334.54 करोड़ तक सार्थक रूप से बढ़ा।

(पैरा 4.2.6)

- दिल्ली तथा नोएडा, उत्तर प्रदेश में दो अस्पतालों में सी.टी. स्कैन तथा एम.आर.आई. हेतु सुविधाओं के गैर प्रावधान, जो मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित थे, का परिणाम मरीजों को सूचीबद्ध रोग निदान केन्द्रों में भेजे जाने में हुआ। यह 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान ₹4.32 करोड़ के परिहार्य व्यय का कारण बना।

(पैरा 4.2.8)

- विभिन्न क.रा.बी.नि. अस्पतालों/औषधालयों में ₹9.43 करोड़ की कीमत के 142 चिकित्सा उपकरण मार्च 2013 तक व्यर्थ पड़े थे।

(पैरा 4.2.9)

- दर संविदा के होने के बावजूद अस्पतालों ने पट्टी करने की मदें तथा दवाईयों को स्थानीय बाजार से खरीदा जिसका परिणाम ₹2.25 करोड़ के परिहार्य भुगतान में हुआ।

(पैरा 4.3.2)

- क.रा.बी.नि. द्वारा प्रापण की गई दवाईयों की गुणवत्ता जांच हेतु नमूना जांच नीति का अनुपालन नहीं किया गया था जिसका परिणाम बीमाकृत व्यक्तियों को घटिया दवाईयों के संवितरण में हुआ जो गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम को प्रस्तुत करती है।

(पैरा 4.3.6)

- 19 तथा 44 प्रतिशत के बीच डाक्टरों तथा विशेषज्ञों की कमी का बीमाकृत व्यक्तियों को प्रभावी सेवा प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(पैरा 4.4.1)

- गुलबर्गा तथा मण्डी में दो 500 बिस्तर वाले अस्पतालों को खोलते समय बीमाकृत व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या की विद्यमानता हेतु मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था तथा स्थान का भी गलत प्रकार से चयन किया गया था।

(पैरा 5.1.2)

अनुसंशाओं का सार

- क.रा.बी.नि. अंशदान के बकायों, ब्याज तथा क्षतियों को वसूलने हेतु प्रभावी कदम उठाये तथा चूककर्ताओं के प्रति शीघ्र कार्रवाई को भी सुनिश्चित करे। क.रा.बी.नि. को कालातीत मामलों की जांच करनी चाहिए तथा जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए।
- क.रा.बी.नि. को उचित सावधानी के साथ बजट अनुमान तैयार करने चाहिए। मंत्रालय को संस्वीकृति प्रदान करने से पूर्व ध्यानपूर्वक बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करनी चाहिए।
- विभिन्न समितियों की बैठकें, जैसी निर्धारित हैं, को कराने की अनुसंशा की जाती है तथा क्षेत्रीय बोर्डों के प्रभावी नियंत्रण हेतु समय पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
- क.रा.बी.नि. को मितव्यता को लागू करने हेतु दर संविदा के माध्यम से अपनी दवाईयों का प्रापण करना चाहिए तथा स्थानीय खरीद के माध्यम से प्रापण को कम करना चाहिए।
- क.रा.बी.नि. को अपनी परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चाहिए।